

कार्यालय-अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ 1722/2018, लखनऊ, दिनांक: 31 जुलाई -2018

-:: आदेश:-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह सितम्बर-2018 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क्र०सं	बैठने का स्थान	कार्य आवंटन	कार्य- अवधि
1	पीठ-1, आगरा	पीठ-1 व 2 आगरा	04.9.18 से 07.9.18
2	पीठ- बरेली	पीठ- बरेली	04.9.18 से 07.9.18
3	पीठ-1, गाजियाबाद	पीठ-1 व 2 गाजियाबाद	10.9.18 से 14.9.18
4	पीठ- गोरखपुर	पीठ- गोरखपुर	04.9.18 से 06.9.18
5	पीठ- झांसी	पीठ- झांसी	17.9.18 से 20.9.18
6	पीठ-1, कानपुर	पीठ-1, 2, 3 व 4 कानपुर	10.9.18 से 14.9.18
7	पीठ-1, लखनऊ	पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ	17.9.18 से 20.9.18
8	पीठ-1, मेरठ	पीठ-1 व 2 मेरठ	17.9.18 से 20.9.18
9	पीठ- मुजफ्फरनगर	पीठ- मुजफ्फरनगर	24.9.18 से 28.9.18
10	पीठ-1, नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा	10.9.18 से 14.9.18
11	पीठ- 1, वाराणसी	पीठ-1, 2, 3, 4, 5 व 6 वाराणसी	24.9.18 से 28.9.18
12	पीठ- सहारनपुर	पीठ- सहारनपुर	24.9.18 से 28.9.18

31-3/11/18

(विकार अहमद अन्सारी)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/1722/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सम्बन्धित सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण।
- 2-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 3-मुन्सरिम/वारिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 4-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष कोदय की आज्ञा से,



निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।